न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 44/2018/75 एलआर एक्ट

1. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीकिशन पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मिनाक्षी पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सरिता पुत्री मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. लखीराम पुत्र भैराराम जाति योगी निवासी पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

   ––रेस्पो0/प्रार्थी
2. श्रीकवंर पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अशोक पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनील पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सतीश पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सुनीता पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 8 पीलीबंगा मण्डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस/अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
eCopy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.01.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 20/2017 अनवानी लखीराम बनाम श्रीकवंर आदि

श्री शहजाद हुसैन अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ता 6
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांक –19.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि मे से

रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्यो का खण्डन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित रास्ता की स्वीकृति के संबंध मे मुख्यतः यह विधिक आपत्ति की गई थी कि जिस भूमि पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है प्रश्नगत प.न. 29/215 के कि.न. 25 मे कोई रास्ता स्वीकृत ही नही है। प्रश्नगत प.न. 29/315 कि.न. 25 के साथ चिपता हुये बैजानिव दक्षिणी दिशा के चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 4 व 5 मे गै0मु0 जंगलात भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। ऐसी स्थिति मे जब कि.न. 25 को कोई रास्ता स्वीकृत नही है तो उसमे से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही है, जो रास्ता प.न. 30/316 के कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत है जिसका प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे हवाला दिया है वह रास्ता प.न. 30/316 के कि.न. 1 मे आकर बन्द हो जाता है क्योंकि उसके आगे चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 4, 5 मे गै0मु0 जंगलात भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है मे कोई भी रास्ता स्वीकृत राजस्व रिकार्ड नही है। इसलिये प्रथमतः चक 15 पीबीएन के प.न. 29/316 के कि.न. 5 मे रास्ता स्वीकृत होना आवश्यक है जिसे कि चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 25 मे प्रवेश किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता के संबंध मे तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त होने का हवाला दिनांक 17.10.17 की फर्दअहकाम मे किया है उसके लिए आदेश न्यायालय द्वारा दिया ही नही गया न ही ऐसा फर्दअहकाम मे दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट के समय अपीलांटास व उनके अधिवक्ता को कोई सूचना नही दी गई जिस कारण से अपीलांटस अपने पक्ष को तहसीलदार के सामने नही रखे सके और ना ही रिपोर्ट पर आपत्तियां पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश मे अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251क तथा इसके तहत बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। प्रत्यर्थी द्वारा चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 कि.न. 25 मे रास्ता स्वीकृत करवाया गया जबकि इसके विपरीत किला नं. 16 मे रास्ता स्वीकृत नही है इससे स्पष्ट है कि मौका पर कोई रास्ता स्वीकृत नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर अपीलांटस की भूमि मे मध्य मे रास्ता स्वीकृत कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट की भूमि को दो टुकड़ो मे विभक्त कर दिया है जिसकी वजह से काश्त करने, सिचाई करने व आवागमन मे अपीलांटस को अत्याधिक कठिनाई होगी। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि को प.न. 29/315 के कि.न. 8, 13, 18, 23 मे मौका पर रास्ता चालू है इसके संबंध मे एक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जिसमे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि को प.न. 29/315 कि.न. 8, 13, 18, 23 मे रास्ता चालू है जिसका प्रयोग प्रार्थी लखीराम अपनी आराजी मे आता जाता है जो रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017(1) पेज 342, आरआरटी 2017 पेज 1088, डीएनजे 2018 पेज 65, डीएनजे 2018 पेज 36 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 25/0.013 है0 रास्ता उतर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत किया है उपरोक्त स्वीकृत रास्ता के बदले चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 के कि.न. 15/0.013 है0 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 को करवाकर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करने का आदेश दिया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही है, पूर्व मे कभी रास्ता नही चलने का मिथ्या तर्क है। रेस्पो0 सं. 1को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता के अलावा रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता है ही नही। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता नही होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 अपनी भूमि मे ना तो सिंचाई कर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। अपीलांट को रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि भी देने के आदेश पारित किये गये है जिससे अपीलांट को भूमि के संबंध मे क्षति कारित नही हुई है। अपीलांट ने बिना किसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. 2 ता 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018 को पारित किया जो आधार हीन है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/ रेस्पो0 सं. 2 ता 6 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य मे रास्ता स्वीकृत कर प्रार्थीगण की भूमि को दो टुकड़ो मे विभक्त कर दिया है जिसकी वजह से काश्त करने, सिंचाई करने व आवागमन मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 को अत्याधिक कठिनाई पैदा होगी। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि को प.न. 29/315 के कि.न. 8, 13, 18, 23 मे मौका पर रास्ता चालू है इसके संबंध मे एक रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जिसमे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि को प.न. 29/315 कि.न. 8, 13, 18, 23 मे रास्ता चालू है जिसका प्रयोग प्रार्थी लखीराम अपनी आराजी मे आता जाता है जो रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है।अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन न करके विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 7 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 कि.न. 25 मे 0.013 है0 रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा रास्ता भूमि के बदले मे प्रार्थी की भूमि प.न. 29/315 कि.न. 15 मे 0.013 है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अपीलांट का यह तर्क है कि किला नं. 25 मे रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि कि.न. 16 मे कोई रास्ता स्वीकृत नही किया गया है, के खण्डन मे रेस्पो0 के तर्क एवं रिकार्ड के अनुसार कि.न. 16/1/0.013 है0 भूमि रेस्पो0 लखीराम की है जिसका उपयोग उपभोग रेस्पो0 सं. 1 रास्ते हेतु कर सकता है तथा यहां यह भी निर्देशित किया जाना उचित है कि रेस्पो0 सं. 1 कि.न. 16/1/0.013 है0 दक्षिण से उत्तर पूर्वी ओर रास्ते हेतु उपयोग करेगा और उक्त कि.न. 16/0.013 रास्ता के रूप मे राजस्व अभिलेख दर्ज रहेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा रास्ते भूमि के बदले मे चिपती हुई भूमि अप्रार्थी/अपीलांट को दिये जाने का अंकन किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पुष्टि योग्य है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018

को यथावत रखा जाता है तथा रेस्पो0 सं. 1 को निर्देशित किया जाता है कि चक 13 पीबीएन के प.न. 29/315 मु.न. 50 के कि.न. 16/0.013 है0 दक्षिण से उत्तर पूर्वी ओर रास्ते के रूप मे उपयोग एवं उपभोग करेगा और उक्त कि.न. 16/0.013 रास्ता के रूप मे राजस्व अभिलेख दर्ज रहेगी तथा उक्त कि.न. 16/0.013 है0 दक्षिण से उतर पूर्वी ओर रास्ता के रूप मे दर्ज करने हेतु तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार पीलीबंगा को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official